

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 18, गुरुवार, शाके 1948- जुलाई 09, 2026 Asadha 18, Thursday, Saka 1948- July 09, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 01, 2026

संख्या एफ.14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- III /00294 :-उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम, संख्या-37) की धारा-34 की उप धारा-(5) व (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रों के लिए एतद्वारा संहिता के प्रयोजनार्थ श्रम विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों हेतु **मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief-Inspector-Cum-Facilitator)** एवं **अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Additional Chief-Inspector-Cum-Facilitator)** नियुक्त करती है:-

मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief-Inspector-Cum-Facilitator)

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1.	श्रम आयुक्त, राजस्थान	संपूर्ण राजस्थान
2.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान	संपूर्ण राजस्थान

अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Additional Chief-Inspector-Cum-Facilitator):-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1.	संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर संभाग
2.	संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर संभाग
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर संभाग

4.	संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर संभाग
5.	संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	भरतपुर संभाग
6.	संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	कोटा संभाग
7.	संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	बीकानेर संभाग

राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश सहारण,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।